

दिनांक 10/6/25

ump

10/6/25

पक्षधारी पक्ष दुर्ग, वसुधाप कार के अग्रिम।  
पक्षधारी बलने आदेश प्रारंभ Pt 17/25 को पेश

ump  
10/6/25

09/7/25

पक्षधारी पक्ष दुर्ग, वकील अग्र पक्ष अग्रिम।  
बदल अग्र पक्ष के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम रिवाइ,  
व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया।  
Dalpat Kumar Vs prahled singh 1992 AIR SCW  
3128 एवं Colgate Palmolive (India) Ltd Vs  
Hindustan Lever Ltd 1999 AIR SCW 3050 मामलों  
में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सखि निर्धारित  
किया है कि असाई निषेधात्मक के प्रपत्र को  
adjudicate करने के लिए इसे तीन बिन्दुओं  
- prima facie case, balance of Convenience and  
irreparable loss - पर ध्यान आनवश्यक है :-



- (1) प्रथम प्रथम दुर्ग - ग्राम स्वामिनी
  - (2) सुविधा का संपन्न - श्री विद्या का संपन्न
- श्री विद्या का संपन्न (अ) 71 दिनांक 6  
रचना 6.1715 has प्रार्थी व अग्रार्थी 1 के लिये  
1/2-1/2 का सहवसती में दर्ज रिवाइ (अ) 71  
recorded Co-tenant है, It is well settled  
कि शासनी स्वामी से प्रत्येक सहवसती का

प्रत्येक भाग पर एक समान काँधी गाँव होता है।  
 ग्रामीणों का कथन है कि वास्तव में भारतीय  
 ना तो कानूनी रूप से वर्तमान हुआ है और  
 ना ही सोवियत पर वर्तमान हो रहा है जबकि  
 दोनो पैदा सामन्ती रूप से ही कास्त करते आ  
 रहे जबकि ग्रामीणों अप्रार्थी 1 का कथन है कि  
 प्रार्थी व अप्रार्थी 1 एक ही परिवार के सदस्य हैं  
 जिनके मध्य 40 वर्षों से आर्थिक सम्बन्ध से मीठे  
 पर मीठेके वर्तमान होकर अपर्न-2 खेत बनाकर  
 कृषिकार्य चले आ रहे हैं। विगत 40-50 वर्षों  
 से प्रार्थी व अप्रार्थी 1 ने कृषि की सामन्ती  
 (समुक्त) रूप से खेती नहीं की है। oral  
 family settlement अनुसार प्राप्त दिल्ली पर  
 अप्रार्थी 1 ने वर्षों से land improvement, development  
 work कर ना केवल भूमि को more fertile  
 बनाया है बल्कि भारती रूप से खर्च किया है,  
 आगे तक दिया कि प्रार्थी ने इस प्रपत्र के  
 साथ पेश नजदी नक्शा परिशील - 'अ' में स्वयं ने  
 दोनो भाइयों के मध्य पूर्व से ही वर्तमान हो  
 रखा कर उत्तर दिशा (रोड की ओर) अप्रार्थी  
 की भूमि को तथा दक्षिण भाग में प्रार्थी की  
 भूमि व मकान बताया है। एवं अप्रार्थी ने  
 इस स्वरूपकारी की भूमि के दक्षिण-पश्चिम  
 दिल्ली पर अपना मकान (House) बना रखा है  
 और दुआ भी खोद रखा है।

अप्रार्थी 1 द्वारा पेश साक्ष्य गवाहन  
 NAW, से NAWs से शपथ पत्रों से स्वीकार किया  
 है कि उनके खेत, प्रार्थी व अप्रार्थी 1 की भूमि  
 के पास ही है और वास्तव में भारतीयों को



बाद में जानते हैं। यह भी स्वीकार है कि  
 वास्तव में प्रार्थी व अप्रार्थी के दावा  
 देवीसिंह व जगत सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में  
 ही प्रार्थी के पिता अंकार सिंह एवं अप्रार्थी के पिता  
 फतेहासिंह के मध्य मौखिक बंटवारा कर दिया  
 था और तभी से दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से  
 में खेत बनाकर कृषि कार्य चला आ रहे हैं।  
 प्रार्थी वास्तव में अपने हिस्से में दक्षिण-पश्चिम  
 भाग पर करीब 40 वर्षों से मकान बना कर  
 संपत्ति निवास कर रहा है। अप्रार्थी ने अपने  
 हिस्से पर जानबूझ कर सुरक्षा तार फेंकने भी  
 कर रखी है। प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में  
 कोई भी oral evidence प्रस्तुत नहीं की है।

अपने ही बिना खाता विभाजन कराये बचत  
 (Sale) करने के समझ में भी कोई साक्ष्य  
 प्रस्तुत नहीं किया है। Power installation and  
 Construction का भी कोई भी evidence प्रस्तुत नहीं  
 किया है। अतः मौखिक पारिवारिक बंटवारा होना चाहिए।

Rajendbiran Vs Muthajammal 2024 JAN

12 मामले में माननीय महोदयों द्वारा मौखिक  
 निर्धारित किया है कि ये यदि मौखिक बंटवारा  
 साबित है और सभी पक्षों को आप भी उससे  
 अनुसार संपत्ति का उपयोग कर रहे हो तो  
 भी वह बंटवारा वैध माना जायेगा।

इसी प्रकार Ramoo Vs Hanuman 1987,

RBJ(6) 1999 Page 978 अतः Harphool Vs  
 Harla यदि मामले में माननीय महोदयों



ने ज्ञानि निर्धारित किया है कि "ordinary, one co-tenant cannot obtain an temporary injunction against another co-tenant and best remedy available to a co-tenant is sue for partition."

लेकिन 1981 RRD 639 में कहा है कि "A co-sharer can get an injunction against other co-sharers if they are doing something which is totally inconsistent with joint ownership for example where a co-owner wants to construct a garage over joint agriculture land, he can be restrained from doing so."

इस बात प्रकार में असे ही दोनों पक्षों के बीच वादग्रस्त पक्षों का मौखिक रूप पर पारस्परिक संबंधों को ध्यान धारित होता है लेकिन कानूनी रूप से संबंधों का वाद (sue) लांबित है। अप्रार्थी ने अपने पक्षों के बिन्दु/पैरा 7 में स्पष्ट स्वीकार किया है कि उसके हिस्से व कब्जेकाल की शुरुआत पर mobile tower लगा रहा है और इसका mobile tower company के विद्यमान एग्रीमेंट से युक्त है। कानूनी (विद्यमान) शकता विभाजन होने तक अप्रार्थी द्वारा mobile tower लगाकर निर्माण कार्य करना Rajasthan tenancy Act के प्रावधानों के विरुद्ध है और अप्रार्थी को joint-ownership पर प्रतिबन्धन प्रभाव डालेगा।

उपरोक्त निवेदन व विवरणों के आधार पर "Co-tenancy land पर मोबाइल टावर लगाकर construction करने के" हद तक ही प्रकार प्रथम दर्शा एवं सुविधा का सतुल्य अप्रार्थी के पक्ष में लांबित है और अन्य अनुतोष के हद तक अप्रार्थी के पक्ष में लांबित नहीं है।

(iii) अप्रार्थी को प्रतिबन्धन :- प्रकार में असे कानूनी रूप



से बंधा नहीं हुआ है लेकिन मौखिक पारिवारिक  
बन्धन होने प्रथम हस्त प्रती होता है। अतः  
उपरोक्त सामग्री tenancy की शर्त पर mobile  
power आर्ड लगाने के लिये construction करना  
और शर्त co-tenant की सहमति बिना mobile  
company के साथ contract को execute करने (त  
प्रती) का आवश्यक शर्त कारि हो लगी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर  
शर्तों का प्रप पर IS 212 RT Act 19.0.39 R112  
CPC आदेशों के लिये लीमार किया जाता है।  
अप्रार्थी 1 के लक्ष्य मूलवाड इस आधार कि  
अप्रार्थी निषेधात्ता से पावड किया जाता है कि  
वह, स्वता विभाजन कार्य बिना, अपने हित  
पर कोई भी और कृषि कार्य जैसे mobile power  
आर्ड का निर्माण नहीं करे। कृषि कार्य करने  
पर कोई शर्त नहीं होगी। पत्रावली क्र. 10/25  
होकर मूलवाड के साथ लगाने हो।



*[Signature]*  
09/07/25

उपखण्ड अधिकारी  
पिठावा, जिला अहमदाबाद (राज.)